न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
344 / 2012 / वाद पत्र	16.11.2012	22.05.2017
	उनवान	

1– देबीलाल पिता किशना नायक निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा (मृतक)
2– मांगीलाल पिता देबीलाल नायक निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा
– वादी

बनाम

1– मिश्री पिता देवा नायक निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा
2– ऐजी पत्नि बेणा नायक निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा
3– चान्दु उर्फ घीसु पिता बेणा नायक निवासी तहनाल तह0 शाहपुरा
4– तहसीलदार, शाहपुरा
– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0ए0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम तहनाल मे वादी संख्या 1 के खाते की कृषि भूमि आ0न0 2186 / 51 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा स्थित है जिसके पेमाईस बाद के नम्बर 643 रकबा 0.91 है0 बने है। उक्त कृषि भूमि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की है जिस पर वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी नं0 2 वादी नं0 1 का पुत्र है जिसे इस वाद पत्र मे वादी बनाया गया है क्योकि वादी नं0 1 काफी वृद्व होकर चलने फिरने की स्थिति मे नही है। वादी को मृत बता कर प्रतिवादी नं0 1 तथा प्रतिवादी नं0 2 के पति एवं 3 के पिता बेणा ने वादी नं0 1 की कृषि भूमि को इन्तकाल नं0 1203 के द्वारा स्वयं के नाम दर्ज करा लिया जबकि वादी नं0 1 अभी जीवित है। वादी नं0 1 के फोटोपहचान पत्र एवं राशन कार्ड की फोटोकोपी वाद के संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मे नाम कृषि भूमि दर्ज हो जाने से खुर्दबुर्द करने पर आमादा हो रहे है और प्रतिवादी संख्या 1 मिश्री ने तो एस0बी0बी0जे0 शाखा शाहपुरा से उक्त भूमि पर ऋण भी प्राप्त कर लिया है जिसका कि उसे कोई अधिकार नही है। वादी नं0 1 द्वारा हल्का पटवारी से स्वयं के खाते की नकल दिनांक 26.07.2012 को प्राप्त की तब उसे पता चला कि प्रतिवादीगण ने वादी नं0 1 को मृत बताकर उसके खाते की जमीन स्वयं के नाम करा ली है और ऋण भी प्राप्त कर लिया है। अतः ग्राम तहनाल मे स्थित आ0न0 643 रकबा 0.91 है0 भूमि का वादी नं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण के बजाय वादी नं0 1 का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द नही करे तथा भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे। वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे व न करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 07.12.2012 प्रतिवादी नं0 1 ने उपस्थित होकर इकबाली

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

जवाबदावा पेश किया। प्रकरण प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के जवाबदावा हेतु नियत किया गया। दिनांक 19.07.2013 को प्रतिवादी नं0 2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री ज्ञानचन्द गांग ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र पेश किया। अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 तथा आदेश 22 नियम 1 जा0दी0 पेश किया जिसमे बताया कि वादी तथा उसके पिता देबीलाल दोनो को वादी के रूप मे पक्षकार थे देबीलाल का निधन 6 माह पूर्व हो चुका है। मांगीलाल के अलावा कोई अन्य उत्तराधिकारी नही है। अतः देबीलाल की मृत्यु के तथ्य को रेकार्ड पर लिया जावे। दिनांक 30.04.2014 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब बन्द कर वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 06.03.2017 को प्रतिवादी नं0 2 व 3 स्वयं व उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस वादी नं0 1 के कायम मुकाम पर सुनी जाकर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार किया गया। दिनांक 22.05.2017 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमे बताया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 मिश्री पिता देवा नायक नि0 तहनाल का 10–15 वर्षो से कब्जा काश्त है। जिसके द्वारा पूर्व मे ही इकबाली जवाब दावा पेश कर दिया गया है। वाद पत्र मे अंकित आराजीयात की राजस्व रेकार्ड साबिक/हाल की मिलान क्षैत्रफल से पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम तहनाल प0ह0 तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मे स्थित नम्बर 643 रकबा 0.91 है0 मे दर्ज खातेदार मिश्री पिता देबी 1/2, ऐजी बेवा बेणा, चान्दु पिता बेणा 1/2 सा0 देह खातेदार हि0ब0 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 2 मांगीलाल पिता देबीलाल नायक निवासी तहनाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खुर्दबुर्द, हस्तान्तरण नही करे। वादी के उपयोग उपभोग मे किसी तरह की बाधा कारित न करे व न करावे। डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.05.2017 को केम्प तहनाल पर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान,
न्याय आपके द्वार–2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

[illegible]

बईजलास श्री के. [illegible], RAS

1 श्री [illegible] .... बनाम श्री 1 [illegible]
[illegible]   2 [illegible]
2 [illegible]   3 [illegible]
[illegible]   4 [illegible] शाहपुरा
[illegible] शाहपुरा – वादी   – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा .... 88, 188 RTA

मुकदमा नम्बर .... 354 सन् 12 .... राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

[illegible] 1/2 [illegible] 1/2 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द मुद्दायी तक अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख .... 29 .... माह 5 .... सन् 17 ....

[signature]

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)